

पत्र १५५७ प ५०

16-2-18

पत्रावली में श. ३३ के अन्तर्गत शा. ३३ में T.I. शा. ३३ को आगे बढ़ाकर निवेदन किया है एवं इस कारण Not Press भी किया है अतः Not Press में T.I. शा. ३३ खपस किया गया। पत्रावली में कुल ३३ नंबर टैकर नंबर से कम है। आदेश सुले न्यायालय में सुनाया गया।

Not Press
16/2/18

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लोक